पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 09 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 24.09.2023

दिनांक-23/24-09-2023 को रात्रि थाना गोसाईगंज 01, माल 03, मदेयगंज 01, मानकनगर 01, पारा 01, मोहनलालगंज 01, महानगर 01, अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 09 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना बीकेटी- दिनांक 24.09.2023 को थाना बीकेटी द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 24.09.2023 को सुबह समय करीब 06.30 बजे से 06.45 बजे के मध्य चौकी क्षेत्र कठवारा के किसान पथ पर निर्माण कार्य चल रहा था, वहीं ओवर ब्रिज के पास डम्फर नं0- यूपी32 एफएम 1607 और ई-रिक्शा में टक्कर हो गई, जिससे ई-रिक्शा चालक धीरज कुमार गिरी पुत्र शीतला प्रसाद गिरी निवासी ग्राम रामगढ़ा थाना बीकेटी लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष की मौके पर मृत्यु हो गई है। **इस सूचना पर उ0 नि0 श्री रविन्द्र सिंह मो0न0- 9412626760 थाना बीकेटी द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक अविवाहित था। मृतक के पिता मजदूरी का कार्य करते हैं।

थाना ठाकुरगंज-दिनांक 24.09.2023 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री शिवप्रकाश पुत्र सुन्दरलाल निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना हसनगंज जनपद उन्नाव ने थाना ठाकुरगंज पर सूचना दिया कि वादी की पुत्री दीपिका द्विवेदी उम्र करीब 32 वर्ष का विवाह दिनांक 11.06.2022 को अजयजीत शुक्ला उर्फ संजू शुक्ला पुत्र श्री राम औतार निवासी- 445/541 न्यू विश्वासनगर मल्लाही टोला थाना ठाकुरगंज लखनऊ के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुआ था। विवाह के कुछ दिन बाद से ही वादी की पुत्री के सुसरालीजनों द्वारा दहेज में चार पहिया वाहन के लिए वादी की पुत्री को प्रताड़ित किया जाने लगा। जिसकी शिकायत वादी की पुत्री माता-पिता से आये दिन करती थी। वादी व उसके परिजन अपनी पुत्री को समझा बुझाकर अपनी पुत्री को परिवार संभालने के लिए बर्दाश्त करने को कहते थे तथा आगे चलकर सब ठीक हो जायेगा। दिनांक 22.09.2023 को उपरोक्त लोगों द्वारा वादी की पुत्री दीपिका द्विवेदी को पता नहीं किस तरह जान से मार दिया। वादी की पुत्री की हत्या उपरोक्त लोगों का हाथ है। वादी ने दिनांक 22.09.2023 को दामाद संजू शुक्ला को फोन करके अपनी पुत्री के बारे पूछने पर दामाद संजू वादी को गुमराह करता रहा, जब वादी अपनी पुत्री से बात कराने को कहा तो संजू शुक्ला ने कहा कि बात नही हो पायेगी वह ऊपर खाना बना रही है। वादी को शक होने पर वादी अपनी पुत्री के ससुराल आया तो पाया कि वादी की पुत्री को उक्त लोगों ने मार दिया है। वादी की पुत्री को ट्रामा सेन्टर ले जाने पर डॉक्टरों ने वादी की पुत्री को मृत घोषित कर दिया। **इस सूचना पर थाना ठाकुरगंज पर मु0अ0सं0- 651/2023 धारा 304बी भादवि का अभियोग बनाम 01-अजयजीत शुक्ला उर्फ संजू शुक्ला (पति) 02-सरला (सास) 03-राजू शुक्ला (जेठ) के विरूद्ध पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना गाजीपुर-</u> दिनांक 24.09.2023 को थाना गाजीपुर द्वारा बताया गया कि श्री संदीप पाठक पुत्र स्व0 रामफूल पाठक निवासी गाजीपुर गांव इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ ने थाना गाजीपुर पर सूचना दिया कि दिनांक 24.09.2023 को न्यू आजाद मार्केट पर सब्जी का ठेला लगाने वाले व्यक्ति कल्लू राजपूत पुत्र स्व0 किशोरी लाल निवासी गाजीपुर गांव इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष टी0बी0 की बीमारी से ग्रस्त था, जोकि सब्जी मण्डी में सब्जी का ठेला लगता था और रात में उसी ठेले पर सो जाता था। दिनांक 24.09.2023 को कल्लू राजपूत अपने ठेले के पास मृत अवस्था में पड़ा मिला और खून की उल्टियां भी की हैं। **इस सूचना पर उ0नि0 श्री मो0 रोशन मो0न0-7905411675 थाना गाजीपुर द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक अविवाहित था और काफी समय से टी0बी0 की बीमारी से ग्रस्त था ।

<u>थाना काकोरी-</u> दिनांक 24.09.2023 को थाना काकोरी द्वारा बताया गया कि वादी श्री जितेन्द्र उर्फ रींकू पुत्र राम अवोतार निवासी ग्राम कठिंगरा थाना काकोरी जनपद लखनऊ ने थाना काकोरी पर सूचना दिया कि वादी दिनांक 22.09.2023 की रात्रि करीब 08.00 बजे वादी के गांव के महीपाल पुत्र अज्ञात व पुतान पुत्र महीपाल निवासीगण ग्राम कठिंगरा थाना काकोरी जनपद लखनऊ जो पुरानी रंजिश को लेकर वादी को गन्दी-गन्दी गालियां देने लगे, जब वादी ने विपक्षीगणों को गाली देने से मना किया तो विपक्षीगणों ने वादी को लाठी डन्डों से मारने पीटने लगे। विपक्षीगणों के मारने पीटने से वादी को गम्भीर चोटें आयी है। **इस सूचना पर थाना काकोरी पर मु0अ0सं0-244/2023 धारा-323/324/504 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना काकोरी-</u> दिनांक 24.09.2023 को थाना काकोरी द्वारा बताया गया कि श्री राहुल राजपूत पुत्र श्री राम शंकर राजपूत निवासी ग्राम चकपरेवा थाना काकोरी लखनऊ ने थाना काकोरी पर सूचना दिया कि आज दिनांक 24.09.2023 को समय करीब 13.30 बजे उसके भाई विशाल राजपूत उम्र करीब 21 वर्ष निवासी उपरोक्त ने अपने आम के बाग में आम के पेड़ से दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री राजबहादुर सिंह मो0नं0- 8004444741 थाना काकोरी द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक विशाल राजपूत उपरोक्त अविवाहित था। मृतक के पिता मजदूरी करते है ।